रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062021-227423 CG-DL-E-08062021-227423

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 317]

No. 317]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 8, 2021/ज्येष्ठ 18, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 8, 2021/JYAISTHA 18, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2021

आयकर

सा.का.नि. 395(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 295 के साथ पठित धारा 194,क194, 194थ,196घ,206कख और 206गगक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर नियम 1962 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम व प्रारंभ. -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (17वां संशोधन) नियम 2021 है।
 - (2) यथा उपबंधित अन्यथा के सिवाय ये राजपत्र में प्रकाशन उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. आयकर नियम 1962 में (जिसे इसके पश्चात्मूल नियम कहा गया है) नियम 31क उप नियम (4) में :-
 - (क) खंड (भ) के खंड (भ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे
 - धारा 194 क की उपधारा (3) के खंड (भ) के तहत जारी अधिसूचना के मद्देनजर या धारा 194क की उपधारा (5) के तहत दी गई छूट के मद्देनजर सहंत्तकी गई या जमा की गई राशि के विशिष्टियां प्रस्तुत करे।
 - (ख) खंड (xii) के पश्चात् निम्नलिखित खंडअंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्

3039 GI/2021 (1)

- "(xiv) भुगतान की गई या जमा राशि की विशिष्टियां प्रस्तुत करें धारा 194 के दूसरे परंतुक के खंड (ड) के तहत जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए भुगतान की गई जमा की गई राशि का विवरण प्रस्तुत करें जिस पर कर नहीं काटा गया धारा 194 की उपधारा (5) के मद्देनजर कर नहीं काटा गया।
- "(xv) धारा 196 घ की उपधारा (2) अथवा उपधारा (1क) के परंतुक केमद्देनजर भुगतान की गई या जमा की गई मूल राशि पर कर नहीं काटा गया।
- (xvi) 1 जुलाई,2021 से प्रवृत्तधारा 194 घ की उपधारा (5) की दृष्टि में जिसकों कर कटौती नहीं किया गया था या संदत्त रकम की विशिष्टियों प्रस्तुत करें।
- 3. मूल नियमों में परिशिष्ट II में प्रपत्र 26क में उपाबंध क खंड (ii) में शब्दों में "जो निवासी है" का लोप किया जाएगा।
- 4. मुख्य नियमों में, परिशिष्ट II में प्ररूप 26फ में

 - (ख) उपाबंध के स्थान पर निम्नलिखित उपाबंध को रखा जाएगा
- " उपाबंध :- कटौती/भृगतानकर्ता स्त्रोत पर कर कटौती का ब्यौरा "

(मुख्य प्ररूप26थ के क्रम सं. 4 सारणी की प्रत्येक पंक्ति मद के लिए अलग उपाबंध का उपयोग करें)

समाप्त तिमाही के दौरान भुगतान/जमा की गई राशि का विवरण........ (तारीख/माह/वर्ष) तथा स्त्रोत पर कर कटौती

शाखा का बीएसआर कोड /प्ररूपसे 24 छ की रसीद संख्या
जिसतारीख को चालन जमा/ हस्तांतरित किया गया वाउचर तारीख(ता/म/व)
प्ररूप सं. 24छ का चालान क्रम सं. /डीडीओ क्रम सं.
चालान के अनुसार रकम
स्तंभ 421 के अनुलंब सारणी में कटौतीकर्ता में मध्य कुल कर आवंटित किया जाए
नीचे वर्णित कटौतीकर्ता के मध्य कुल ब्याज का आबंटन

कटौतीकर्ता का नाम		
टैन		

末	कटौतीकर्ता/ भुगतानकर्ता का संदर्भ सं. भुगतान कर्ता या कटौती कर्ता द्वारा दिया गया यदि उपलब्ध हो	कटौतीक र्ता/ भुगतानक र्ता का कोड (1- कंपनी 2- कंपनी के	कटीतीकर्ता/ भुगतानकर्ता का पैन	कटौतीकती/ दाता का नाम	धाराकोड (देखें टिप्पणी 16)	भुगतान या जमा की तारीख (ता/ म/व)	भुगतान जमा की राशि	धारा 194ड में संदर्भित एक करोड रूपए से अधिक नकद निकामी की राशि पर (धारा 194ड़ के पहले	धारा 194ढ़ के प्रथम परंतुक के उप खंड (क) में 20 लाख से अधिक परंतुक 1 करोड़ नकद	धारा 195 एन के पहले परंतुक के खंड (II) के उपखं ड (ख) के अंतर्गत मामलों में 1 करोड रूपए से अधिक राशि	कुल कर कटौती	कुल कर जमा	कटौ ती की तारी ख	कटौ ती की दर	कटौती न करने का कारण कम कटौती/उ च्च कटौती /सीमा परिवहन आदि	तिर्धारण अधिकारी द्वारा जारी धारा 197 के तहत प्रमाण पत्र संख्या / न्यूनतम कटौती/ गैर
---	---	---	--------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	--	---	---	--------------------	------------------	------------------------------	-----------------------	---	--

								परंतुक	कम	की						
								के	राशि	निक						
								तहत	की	सी						
								मामलों	निका							
								में	सी							
								शामिल								
								नहीं)								
[412]	[413]	[414]	[415]	[416]	[417]	[418]	[419]	[419a]	[419ख]	[419ग]	[420]	[421]	[422]	[423]	[424]	[425]
[412]	[413]	[414]	[410]	[410]	[417]	[410]	[413]	[4134]	[4139]	[4134]	[420]	[421]	[422]	[423]	[424]	[423]
1																
2																
3																
कुल																

_			
स	त्य	ΙU	न

में	स्पष्ट करता हूं कि उपर्युक्त प्रस्तुत विवरण सही व पूर्ण है।
स्थान	स्त्रोत कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर
तारीख	. नाम व पद कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर

टिप्पणी :-

- 1. धारा 197 के तहत प्रमाण पत्र के लिए न्यूनतम कटौती अथवा गैर कटौती के लिए "क" लिखें
- 2. धारा 197क की उपधारा (1च) में वर्णित मामलों के अलावा धारा 197क के तहत, घोषणा में गैर कटौती के लिए 'ख'लिखें
- 3. यदि पैन नं. प्रस्तुत करने के कारण 206कक के तहत उच्चतर दर पर कटौती हो तो 'ग' लिखें।
- 4. धारा194क की उपधारा (5) के तहत जारी अधिसूचना के कारण किसी व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग को किए गए भुगतान के कारण कोई कटौती या न्युनतम कटौती या न्युनतम कटौती नहीं होने पर 'घ' लिखें
- 5. यदि बोर्ड के परिपत्र सं. 3, तारीख 28 जून 2002 अथवा बोर्ड को परिपत्र सं. 11 तारीख 22 नवंबर, 2002 या बोर्ड परिपत्र सं. 18/2017 तारीख 29 मई 2017 में संदर्भित किसी व्यक्ति को भुगतान के कारण कोई कटौती नहीं हुई है 'ड' लिखें।
- 6. यदि आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट सीमा से कम भुगतान के कारण कोई कटौती नहीं है तो 'म' लिखें।
- 7. यदि कटौतीकर्ता/अदाता को परिवाहक होने के कारण कोई कटौती नहीं है तो "न" लिखें कटौतीकर्ता/अदाता का पैन अनिवार्य है (धारा 194 ग(6) देखें।)
- 8. धारा 197ठच के तहत अधिसूचित किए जा रहे भुगतान के कारण कोई कटौती या न्यूनतम कटौती नहीं होने पर "य"
- 9. धारा 194ढ के दूसरे परंतुक के तहत जारी अधिसूचना के कारण कोई कटौती या कम कटौती या कम कटौती है तो 'ड' लिखें।
- 10. धारा 194 ढ के चौथे परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्ति को किए गए भुगतान के कारण या 194ढ के चौथे परंतुक को तहत जारी जारी अधिसूचना के कारण कोई कटौती या कम कटौती नहीं होने पर 'ढ' लिखें।
- 11. यदि कोई कटौती धारा 194 ठखक की उपधारा (2क) को उपबंधों के अनुसार नहीं है तो 'ण' लिखें।
- 12. धारा 194 के दूसरे परंतुक के खंड(ड) के तहत अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए या धारा 194 के दूसरे परंतुक के खंड (घ) में संदर्भित व्यावसायिक न्यास को दिए गए लाभांश के भुगतान के कारण कोई कटौती या कम कटौती नहीं हुई है तो 'त' लिखें।

- 13. धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (भ) में संदर्भित किसी ईकाई को किए गए भुगतान को ध्यान में रखते हुए कोई कटौती नहीं होने पर 'थ' लिखें।
- 14. धारा 194थ की उपधारा (5) के उपबंधो को ध्यान में रखते हुए कोई कटौती नहीं है तो 'य' लिखें। *
- 15. धारा 206कख के मद्देनजर आय की विवरणी दाखिल न करने के कारण कटौती उच्च दर पर होती है तो 'प' लिखें*
- 16. धारा कोड की सूची इस प्रकार है:-

धारा	भुगतान की प्रकृति	धारा कोड
192क	कर्मचारी को देय संचित राशि का भुगतान	192क
193	प्रतिभूतियों पर ब्याज	193
194	लाभांश	194
194क	प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त ब्याज	194क
194ख	लॉटरी व क्रॉसवर्ड पहेली से जीत	194ख
194खख	घडदौड से जीत	194खख
194ग	ठेकेदारों व उप ठेकेदारों का भुगतान	194ग
194घ	बीमा आयोग /कमीशन	194घ
194ঘক	जीवन बीमा नीति के संबंध में भुगतान	194ঘক
194डड	राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत जमा राशि के संबंध में □भुगतान	194डड
194च	परस्परिक निधि या यूटीआई द्वारा ईकाइयों के खरीद के कारण भुगतान	194च
194छ	लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कमीशन	194छ
194ज	दलाली पर कमीशन	194ज
194झ(क)	किराया	194झक
194झ(ख)	किराया	194झख
194ञ(क)	सिनेमेट्रोग्राफी फिल्मों और कॉल सेंटर के प्रदर्शन वितरण तथा	194ञ(क)
	ब्रिकी के लिए तकनीकी सेवाओं के लिए फीस(पेशेवर सेवा नहीं) के लिए रॉयल्टी @2%	, ,
194ञ(ख)	पेशेवर सेवा या रॉयल्टी आदि के लिए फीस	194ञ(ख)
194ਟ	इकाईयों के संबंध में आय	194ਟ
194ठक	कतिपय स्थावर संपत्तियों के अधिग्रहण पर मुआवजे का प्रतिकर	194ठक
194ठखक(क)	व्यावसायिक न्यास को इकाई से निवासी इकाई धारक को लाभांश रूप में निश्चित आय	194ठखक(क)
194ठखक(ख)	व्यावसायिक न्यास की इकाईयों से निवासी इकाई धारक को लाभांश रूप में निश्चित आय	194ठखक(ख)
194ਠख	विनिधान निधि की इकाई के संबंध में आय	194ठख
194ठखग	प्रतिभूतिकरण न्यास में निवेश के संबंध में आय	194ठखग
194ৱ	नकद में कतिपय राशि का भुगतान	194ਫ
194ढ प्रथम	दाखिल न करने वालों के नकद में कतिपय राशि का भुगतान	194ढ प्रथम
परंतुक		परंतुक
194 ण	ई कामर्स प्रतिभागी को ई कामर्स प्रचालकों द्वारा कतिपय राशि का भुगतान	194ण
194थ	माल की खरीद के लिए कतिपय राशि का भुगतान	194थ

टिप्पणी :- धारा 194 थ और धारा 206कख के संबंध में परिवर्तन 1 जुलाई 2021 से प्रवृत्त होंगे।

- 5. मूलनियमों में परिशिष्ट II में ,प्ररूप 27डथ में -
 - (क) कोष्टकों,शब्दों,अंकों तथा अक्षरों को "धारा 206ग व नियम 31कक देखें" निम्नलिखित कोष्टक, शब्द, अंक और अक्षरों को रखा जाएगा अर्थात.

धारा 206ग , 206गग, 206गखक एवं नियम 31कक देखें

(ख) उपाबंध के स्थान पर निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा अर्थात्

"उपाबंध : स्त्रोत पर का कटौती या कटौतीकर्ता वार ब्यौरा

(कृपया मुख्य प्ररूप27ड़थ के क्रम सं. 4 सारणी की प्रत्येक पंक्ति/मद के लिए अलग-अलग उपाबंध का उपयोग करें) समाप्त तिमाही (तारीख/माह/वर्ष) के दौरान प्राप्त नामे की गई राशि और स्त्रोत पर कर कटौती का विवरण शाखा का बीएसआर कोड /प्ररूप से 24 छ की रसीद संख्या

जिस तारीख को चालन जमा/ हस्तांतरित किया गया वाउचर तारीख(ता/म/व)

प्ररूप सं. 24छ का चालान क्रम सं. /डीडीओ क्रम सं.

चालान के अनुसार राशि

स्तंभ 677 के अनुलंब सारणी में कटौती वार्ता में मध्य कुल कर का आवंटन

नीचे वर्णित कटौतीकर्ता में से कुल ब्याज का आबंटन

कटौतीकर्ता का नाम	
टैन	

क्रं स	कटौती कर्ता/ भुगता नकर्ता का संदर्भ सं. भुगता न कर्ता या कटौती ढारा दिया गया यदि	कटौती कर्ता/ भुगता नकर्ता का कोड (1- कंपनी 2- कंपनी के अतिरि	कटौती कर्ता/ भुगता नकर्ता का पैन	कटौती कर्ता/ भुगता नकर्ता का नाम	भुग तान जमा की रा शि	प्रा प्रा ज मा रा शि	भुग तान या जमा की तारी ख (ता/ म/व)	धारा कोड (देखें टिप्प णी 10)	कर	अधि भार	शि श्रा कर	कुल कर एक त्रित	कुल संग्र हण	संग्रह ण की तिथी (ता/ म/व)	सग्र हण की दर	कटौती का कारण कम कटौती/ उच्च कटौती	निर्धा रण अधि कारी द्वारा जारी धारा 206 के तहत प्रमा ण पत्र संख्या न्यूनत म कटौ	क्य अधि ग्रहण टीडी एस के देनदा र है एफ व जी		अगर ह चा लान नं.	तेते टीडी एस जमा करने की तारी ख
[66 4]	ब्ध हो [665]	[666]	[667]	[668]	[66 9]	[67 0]	[671]	[672]	[67 3]	[674]	[67 5]	[67 6]	[67 7]	[678]	[67 9]	[680]	[681]	[681]	[68 1क]	[68 1평]	[68 1ग]
1					۰,				٥,		0,	٥,	.,		۰,				,	,	,
2																					
3																					
_																					
कु ल																					

<u>सत्यापन</u>

में	ऐतद्वारा सत्यापित करता हूं कि उपर्युक्त प्रस्तुत विशिष्टियां सही व पूर्ण हैं
स्थान	स्त्रोत कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर
तारीख	स्त्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम व पदनाम

टिप्पण:-

- 1. धारा 206ग की उपधारा(9) के अधीन प्रमाण पत्र के कारण कम संग्रहण हो तो "क" लिखें
- 2. धारा 206ग की उपधारा(1क) के अधीन घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के कारण कम संग्रहण हो तो 'ख'लिखें
- 3. यदि संग्रहणकर्ता द्वारा पैन/आधार जमा न करने के कारण धारा206गग के अधीनसंग्रहण अधिक हो तो 'ग' लिखें।
- 4. यदि धारा206ग की उपधारा (1छ) के पहले परंतुक के कारण कोई संग्रहण न हुआहो तो'घ' लिखें
- 5. यदि धारा206ग की उपधारा (1छ) के चौथे परंतुक के कारण कोई संग्रहण न हुआ हो तो'ड़' लिखें।
- 6. उपधारा(1छ) के पांचवें परंतुक के खंड (i) या खंड (ii) अथवा खंड (ii) के अधीन जारी अधिसूचना के कारण संग्रहण न हुआ हो तो'च' लिखें।
- 7. धारा206ग की उपधारा (1ज) के दूसरे परंतुक के कारण कोई संग्रहण न हो तो 'छ' लिखें।

- 8. स्पष्टीकरण के खंड (क) के उपखंड (ग) के अधीन जारी अधिसूचना को देखते हुए या उपखंड (क) या उपखंड (ख) या उपखंड (ग) के कारण कोई संग्रहण न हुआ हो तो 'ज'लिखें।
- 9. धारा 206गगक को देखते हुए संग्रहण उच्च दर पर हो तो 'झ' लिखें।
- 10. संग्रहण कोड जैसा नीचे उल्लिखित है लिखें:

धारा	संग्रहण की प्रकृति	संग्रहण	कोड
206ग	मानव उपभोग के लिए मादक द्रव्यों से स्त्रोत पर संग्रहण	6ग	क
206ग	वन पट्टे के अधीन प्राप्त लकड़ी से स्त्रोत पर संग्रहण	6ग	ख
206ग	वन पट्टे के अतिरिक्त अन्य तरीके से प्राप्त लकड़ी से स्त्रोत पर संग्रहण	6ग	ग
206ग	किसी अन्य वनोपज (तेंदू पत्ता नहीं) के अतिरिक्त प्राप्त स्त्रोत पर संग्रहण	6ग	घ
206ग	कबाड़ से स्त्रोत पर संग्रहण	6ग	ड
206ग	पार्किंग स्थलो से संबंधित पट्टे /लाईसेंसी या ठेकेदारों से स्त्रोत पर संग्रहण	6ग	च
206ग	टोल प्लाजा से संबंधित पट्टे /लाईसेंसी या ठेकेदारोंसे स्त्रोत पर संग्रहण	6ग	छ
206ग	खदान या खनिज भूमि से संबंधित पट्टे /लाईसेंसी या ठेकेदारोंसे स्त्रोत पर संग्रहण	6ग	ज
206ग	तेंदू पत्ते से स्त्रोत पर कर संग्रहण	6ग	झ
206ग	लोह अयस्क अथवा लिग्नाइड या कोयला आदि खनिजों की बिक्री पर स्त्रोत पर कर संग्रहण	6ग	স
206ग	आभूषण तथा बुलियन की नकद बिक्री परकर संग्रहण	6ग	ट
206ग	मोटर वाहनों की बिक्री पर कर संग्रहण	6ग	ढ
206ग	विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की खरीद के लिए एलआरएस के अधीनविप्रेषण देय पर संग्रहण	6ग	ण
206ग	धारा 80 ई में वर्णित वित्तीय संस्थान से लिए गए शैक्षिक ऋण के लिए एलआर एस धन प्रेषण	6ग	त
	पर स्त्रोत पर संग्रहण		
206ग	विदेशी यात्रा कार्यक्रम पैकेज के अतिरिक्त या वित्तीय संस्थान से लिए गए शैक्षिक ऋण के लिए	6ग	थ
	एल आर एस के अधीनस्त्रोत पर संग्रहण		
206ग	माल की बिक्री पर स्त्रोत पर संग्रहण	6ग	द

टिप्पण:- धारा 206 गगक में परिवर्तन 1 जुलाई 2021 से प्रवृत्त होंगे।

6. मुख्य नियमों में परिशिष्ट ii में प्ररूप सं. 27थ में

["धारा194ड., 194ठख ,194डखक,194डखख,194डखग,194डग,194ढ़,195,196क,196ख,196ग,196घ,197क और नियम नियम 31क देखें"]कोष्ठकों, शब्दों तथा अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित कोष्टक ,शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे अर्थात:-

[194इ., 194ठख , 194ठखक , 194ठखख, 194ठखग, 194ठग, 194इ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ, 197क, 206कक, 206कख और नियम नियम 31क]

(क) "उपाबंध " के लिए निम्नलिखित "उपाबंध " को रखा जाएगा अर्थात्

"उपाबंध :- कटौती किए जाने वाले व्यक्तिवार टीडीएस का अलग-अलग मृल्य"

(मुख्य प्ररूप 27थ के क्रम सं. 4 परसारणी की प्रत्येक पंक्ति मद के लिए अलग उपाबंध का उपयोग करें)

समाप्त तिमाही के दौरान भुगतान/जमा की गई राशि का विवरण.......... (तारीख/माह/वर्ष) तथा स्त्रोत पर कर कटौती

शाखा का बीएसआर कोड /प्ररूप से 24छ की रसीद संख्या
जिसतारीख को चालन जमा/ हस्तांतरित किया गया वाउचर तारीख(ता/म/व)
प्ररूप सं. 24छ का चालान क्रम सं. /डीडीओ क्रम सं.
चालान के अनुसार राशि
स्तंभ 726 के अनुलंब सारणी में कटौतीकर्ताओं में मध्य कुल टीडीएस का आवंटन
नीचे उल्लिखित कटौतीकर्ताओं के मध्य कुल ब्याज का आबंटन

कटौतीकर्ता/भुगतान कर्ता का नाम

ſ	क्रं	कटौती	भुगतानकर्ता	भुगतानकर्ता	भुगतानकर्ता	धाराकोड	भुगतान	धारा	धारा	धारा	देय	कर	अधिभार	शिक्षा	कुल	कुलजमा
	स	कर्ता	काकोड	का पैन नं.	का नाम	(देखें	या जमा	194ढ में	194ढ़ के	194ढ़ के	या			उपकर	कर	कर
		द्वारा	(1- कंपनी	या आधार		टिप्पण	की	संदर्भित	प्रथम	पहले	जमा				कटौती	
		दिया	(संख्या		31)	तारीख	एक करोड	परंतुक के	परंतुक के	राशि				1722	
L															[· ==	

	गया भुगतान कर्ता की संदर्भ संख्या यदि उपलब्ध हो	2- कंपनी के अतिरिक्त)	[टिप्पण 12 देखें]			(ता/म/व)	रूपए से अधिक नकद निकासी की राशि पर(धारा 194द्ध के पहले परंतुक के अधीन मामलों में शामिल नहीं)	खंड (ii) के उप खंड (क) के अंतर्गत आने वाले मामलों में 20 लाख से अधिक परंतुक 1 करोड़ नकद □ से कम पाशि	खंड (II) के उपखंड (ख) के अंतर्गत आने वाले मामलों में 1 करोड रूपए से अधिक राशि की					+723 +724]	
[714]	[715]	[716]	[717]	[718]	[719]	[720]	[720雨]	[720ख]	[720ग]	[721]	[722]	[723]	[724]	[725]	[726]
1															
2															
3															
कुल															

कटौती की तारीख(दिन/माह/वर्ष)	जिस दर पर कटौती की गई	कटौती/कम कटौती /ग्रोसिंग अप/उच्च कटौती टिप्पण 1 से 10 देखें	निर्धारण अधिकारी द्वारा कटौती नहीं कम कटौती के लिए जारी प्रमाण पत्र की संख्या	क्या कटौती की दर टीडीएस आयकर अधिनियम के अनुसार है (क) टीडीएस (ख)	धन प्रेषण की प्रकृति	एकमात्र पावर्ती सं. प्ररूप 15गक यदि उपलब्ध हो	जिस देश में धन प्रेषण किया गया है	कटौती कर्ता की मेल आई डी	कटौती कर्ता का संपर्क नंबर	कटौती करने वाले का पता जिस देश का निवासी हो	कटौती करने वाले का टिन नंबर/विशिष्ट पहचान संख्या
[727]	[728]	[729]	[730]	[731]	[732]	[733]	[734]	[735]	[736]	[737]	[738]
1											
2											
3											
कुल											

<u>सत्यापन</u>

में	एतदद्वारा सत्यापित करता हूं कि उपर्युक्त प्रस्तुत विवरण सही व पूर्ण है
स्थान	स्त्रोत कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर
तारीख	स्त्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम और पदनाम

टिप्पणी:-

- 1. धारा 197 के अधीन प्रमाण पत्र के लिए प्रमाण पत्र के कारण यदि कम कटौती या कोई कटौती नहीं तो "क" लिखें
- 2. यदि जोड़ किया गया है तो'ग'लिखें
- यदि स्थायी खाता संख्या या आधार प्रस्तुत न करने का कारण या आधार से साथ पैन को लिंक न कराने के कारण धारा 206कक के तहत उच्च दर पर कटौती हो तो 'घ' लिखें।
- 4. यदि धारा194ठखक की उप-धारा (2क) को ध्यान में रखते हुए कोई कटौती नहीं है तो'ड.' लिखें
- 5. धारा 194ढ के दूसरे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना के कारण कम कटौती या कटौती नहीं हो तो 'ड' लिखें।
- 6. धारा 194ढ के चौथे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना के कारण या धारा 194ढ के तीसरे परंतुक में संदर्भित व्यक्ति को किए गए भुगतान के कारण यदि कटौती कम या कटौती नहीं हो तो 'ढ' लिखें
- 7. धारा 197क की उपधारा (1घ) खंड(क) या (ख)को ध्यान में रखते हुए कोई कटौती नहीं है तो 'ओ' लिखें।
- 8. धारा 10 के खंड (4घ) के अधीन जो निर्दिष्ट निधि को भुगतान की गई आय पर छूट प्राप्त है के संबंध मेंधारा 196घ की उपधारा (1क) के परंतुक को ध्यान में रखते हुए कोई कटौती नहीं है तो 'ज' लिखें।

- 9. यदि विदेशी संस्थागत निवेशक को भुगतान या देय धारा 15कघ में संदर्भित प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ की प्रकृति की आय के संबंध में धारा 196घ की उपधारा (2) को ध्यान में रखते हुए कोई कटौती नहीं है तो'झ' लिखें।
- 10. यदि भारत में एक स्थायी प्रतिष्ठान वाले अनिवासी द्वारा आय की विवरणी दाखिल न करने के लिए धारा 206कख को ध्यान में रखते हुए कटौती ज्यादा दर पर है तो 'ञ'लिखें।
- 11. धारा बोर्ड की सूची इस प्रकार है:-

धारा	भुगतान की प्रकृति	धारा कोड
192क	कर्मचारी को देय संचित राशि का भुगतान	192क
194ਫ	अनिवासी खिलाडी/खेल संघों को भुगतान	94 ई
194ठख	संरचनागत ऋण निधि से ब्याज के रूप में आय	4ठख
194ठखक(क)	धारा 10(23चग(क)) में संदर्भित व्यावसायिक न्यास की इकाई से आय	ठखक(क)
194ठखक(ख)	धारा 10(23चग(ख)) में संदर्भित व्यावसायिक न्यास की इकाई से आय	ठखक(ख)
194ठखक(ग)	धारा 10(23चग(क) में संदर्भित व्यावसायिक न्यास की इकाई से आय	ठखक(ग)
194ठखख	निवेश निधि की इकाई के संबंध में आय प्रतिभूतिकरण न्यास में निवेश	ठखख
194ठखग	प्रतिभूतिकरण न्यास में निवेश के संबंध में आय	ठखग
194ठग	भारतीय कंपनी से ब्याज के रूप में आय	4ठग
194ਨग	कतिपय बंध पत्र तथा सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय	4ठख
194ढ	नकद में कतिपय राशि का भुगतान	94ढ
194ढ प्रथम परंतुक	दाखिल न करने वालों के नकद में कतिपय राशि का भुगतान	4ढच
195	अनिवासी को अन्य देय राशियां	195
196ক	अनिवासी की इकाईयों के संबंध में आय	96क
196ख	अपतटीय निधि में इकाईयों के संबंध में भुगतान	96ख
196ग	अनिवासी को देय विदेशी मुद्रा बंध पत्र या भारतीय कंपनी के शेयर से आय	96ग
196ঘ(1)	उपधारा (1) के तहत प्रतिभूतियों से विदेशी संस्थागत निवेशकों की आय	96घ
194घ(1क)	(धारा 194ठघ में संदर्भित ब्याज आय के अतिरिक्त) धारा 115कघ की	96घक
	उपधारा (1) के खंड (क) में संदर्भित प्रतिभूतियों से निधि की आय	

12. नियम 37 खग के तहत कटौतीकर्ता के मामले में स्थायी खाता सं. या आधार सं. उपलब्ध नहीं है का उल्लेख किया जाना चाहिए

टिप्पण:- धारा 206कख के संबंध में परिवर्तन 1 जुलाई, 2021 को प्रवृत्त होंगे।

[अधिसूचना संख्या 71/2021/फा. सं. 370142/19/2021-टीपीएल] कमलेश चंद्र वार्ष्णेय, संयुक्त सचिव (कर नीति व विधान प्रभाग)

टिप्पण: मुख्य नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, धारा3 उपधारा (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 338(अ), तारीख 24 मई, 2021को किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2021

(INCOME-TAX)

- **G.S.R. 395(E).** In exercise of the powers conferred by sections 194,194A,194Q, 196D, 206AB and 206CCAread with section 295 of the Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-
- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Income-tax (17th Amendment) Rules, 2021.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 31A, in sub-rule (4)
 - (a) for clause '(x)' the following clause shall be substituted namely: -
 - '(x) furnish particulars of amount paid or credited on which tax was not deducted or deducted at lower rate in view of the notification issued under sub-section (5) of section 194A or in view of exemption provided under clause (x) of sub-section (3) of section 194A.';
 - (b) after clause (xiii), the following clauses shall be inserted namely: -
 - "(xiv) furnish particulars of amount paid or credited on which tax was not deducted in view of clause (d) of the second proviso to section 194 or in view of the notification issued under clause (e) of the second proviso to section 194;
 - (xv) furnish particular of amount paid or credited on which tax was not deducted in view of proviso to subsection (1A) or in view of sub-section (2) of section 196D.;
 - (xvi) furnish particulars of amount paid or credited on which tax was not deducted in view of sub-section (5) of section 194Q with effect from 1st day of July,2021.".
- 3. In the principal rules, in Appendix II, in form 26A, in Annexure A, in clause (ii), the words ", who is a resident," shall be omitted.
- 4. In the principal rules, in Appendix II, in form 26Q
 - (a) for the brackets, words, figures and letters "[See sections 192A, 193, 194, 194A, 194B, 194BB, 194C, 194D, 194DA, 194EE, 194F, 194G, 194H, 194-I, 194J, 194K, 194LA, 194LBA, 194LBB, 194LBC, 194N, 194-O, 197A and rule 31A]" the following brackets, words, figures and letters, shall be substituted namely: -
 - "[See sections 192A, 193, 194, 194A, 194B, 194BB, 194C, 194D, 194DA, 194EE, 194F, 194G, 194H, 194-I, 194J, 194K, 194LA, 194LBA, 194LBB, 194LBC, 194N, 194-O, 194Q, 197A, 206AA, 206AB and rule 31A]";
 - (b) for the "Annexure", the following "Annexure" shall be substituted, namely: -

"ANNEXURE: DEDUCTEE/PAYEE WISE BREAK UP OF TDS

(Please use separate Annexure for each line-item in Table at Sl. No. 4 of main Form 26Q)

Details of amount paid/credited during thequarterended... (dd/mm/yyyy) and of tax deducted atsource

BSR Code of branch/Receipt Number of Form No. 24G	
Date on which challan deposited/Transfer voucher date (dd/mm/yyyy)	
Challan Serial Number / DDO Serial No. of Form No. 24G	
Amount as per Challan	
Total tax to be allocated among deductees/payees as in the vertical total of Col. 421	
Total interest to be allocated among the deductees/payees mentioned below	

Name of the Deductor/Payer	
TAN	

SI. No.	Deductee /payee reference number provided by the deductor/ payer, if available	Deduct ee/ payee code (01- Comp any 02- Other than comp	the deductee / payee	Name of the deduct ee/ payee	Section code (See Note 16)	of payme nt or	Amou nt paid or credite d	withdrawal in excess of Rs. 1 crore as referred to in section 194N (in cases not covered by	cases covered	cash withdrawal in excess of Rs. 1 crore for cases covered by sub-clause (b) of clause (ii) of first proviso to	deduct	Total tax deposit ed	deductio	which deduct	Reason for non- deduction / lower deduction/ Higher Deduction/ Threshold/ Transporter etc. (See notes 1 to 15)	Number of the certificate under section 197 issued by the Assessing Officer for non- deducti on/ lower deducti on
[412]	[413]	[414]	[415]	[416]	[417]	[418]	[419]	[419A]	[419B]	[419C]	[420]	[421]	[422]	[423]	[424]	[425]
2	'															
3																
Total																

Verification

I,\ldots,I,\ldots,I	ereb	y certif	y th	at al	l th	e particul	'ars j	furnis	hed	ab	bove are	correct	and	compl	ete.
-----------------------	------	----------	------	-------	------	------------	--------	--------	-----	----	----------	---------	-----	-------	------

Place:	
	Signature of the person responsible for deducting tax at source
Date:	
	Name and designation of the person responsible for deducting tax at source

Notes:

- 1. Write "A" if "lower deduction" or "no deduction" is on account of a certificate under section 197.
- 2. Write "B" if no deduction is on account of declaration under section 197A other than the cases mentioned in sub-section (1F) of section 197A.
- 3. Write "C" if deduction is on higher rate under section 206AA on account of non-furnishing of PAN.
- 4. Write "D" if no deduction or lower deduction is on account of payment made to a person or class of person on account of notification issued under sub-section (5) of section 194A.
- 5. Write "E" if no deduction is on account of payment being made to a person referred to in Board Circular No. 3 of 2002 dated 28th June 20002 or Board Circular No. 11 of 2002 dated 22nd November 2002 or Board Circular No. 18/2017 dated 29th May 2017
- 6. Write "Y" if no deduction is on account of payment below threshold limit specified in the Income-tax Act, 1961.
- 7. Write "T" if no deduction is on account of deductee/payee being transporter. PAN of deductee/payee is mandatory[section194C(6)].
- 8. Write "Z" if no deduction or lower deduction is on account of payment being notified under section 1974(1F).
- 9. Write "M" if no deduction or lower deduction is on account of notification issued under second proviso to section 194N.
- 10. Write "N" if no deduction or lower deduction is on account of payment made to a person referred to in the third proviso to section 194Nor on account of notification issued under fourth proviso to section 194N.
- 11. Write "O" if no deduction is as per the provisions of sub-section (2A) of section 194LBA.
- 12. Write "P" if no deduction is on account of payment of dividend made to a business trust referred to in clause (d) of second proviso to section 194 or in view of any notification issued under clause (e) of the second proviso to section 194.
- 13. Write "Q" if no deduction in view of payment made to an entity referred to in clause (x) of sub-section (3) of section 194A.
- 14. Write "S" if no deduction is in view of the provisions of sub-section (5) of section 194Q.*
- 15. Write "U" if the deduction is on higher rate in view of section 206AB for non-filing of return of income*.
- 16. List of section codes is asunder:

Section	Nature of Payment	Section Code
192A	Payment of accumulated balance due to an employee	192A
193	Interest on securities	193

194	dividend	194
194A	Interest other than interest on securities	94A
194B	Winnings from lotteries and crossword puzzles	94B
194BB	Winnings from horse race	4BB
194C	Payment of contractors and sub-contractors	94C
194D	Insurance Commission	94D
194DA	Payment in respect of life insurance policy	4DA
194EE	Payments in respect of deposits under National Savings Schemes	4EE
194F	Payments on account of repurchase of Units by Mutual Funds or UTIs	94F
194G	Commission, prize etc., on sale of lottery tickets	94G
194H	Commission or Brokerage	94H
194-I(a)	Rent	4-IA
194-I (b)	Rent	4-IB
194J(a)	Fees for Technical Services (not being professional service), royalty for sale, distribution or exhibition of cinematographic films and call center(@2%)	94J-A
194J(b)	Fee for professional service or royalty etc (@10%)	94J-B
194K	Income in respect of units	94K
194LA	Payment of Compensation on acquisition of certain immovable property	4LA
194LBA(a)	Certain income in the form of interest from units of a business trustto a resident unit holder	4BA1
194LBA(b)	Certain income in the form of dividend from units of a business trust to a resident unit holder	4BA2
194LB	Income in respect of units of investment fund	LBB
194LBC	Income in respect of investment in securitization trust	LBC
194N	Payment of certain amounts in cash	94N
194N First Proviso	Payment of certain amounts in cash to non-filers	94N-F

194-O	Payment of certain sums by e-commerce operator to e-commerce participant	940
194Q*	Payment of certain sums for purchase of goods	94Q"

- * Note:- In relation to section 194Q and section 206AB, the changes shall come into effect from 1st July, 2021.
- 5. In the principal rules, in Appendix II, in form 27EQ,-
- (a) for the brackets, words, figures and letters "[See section 206C and rule 31AA]", the following brackets, words, figures and letters, shall be substituted namely:"[See section 206C, 206CC, 206CCA and rule 31AA]";
- (b) for the "Annexure", the following "Annexure" shall be substituted, namely:-

"ANNEXURE -: PARTY WISE BREAK UP OF TCS

			•								`	0000						
BSR C	Code of bra	nch/Red	ceipt Ni	ımber of I	Form No	o. 24G												
	on which c m/yyyy)	hallan a	leposite	d/Transfe	r vouch	er date												
Challe	Challan Serial Number/DDO Serial No. of Form No. 24G																	
Amou	nt as per C	hallan												_				
	TCS to be		d amon	g deducte	es as in	the verti	cal				ie of the lector							
Total	interest to	be alloc	ated an	nong the p	oarties 1	nentionea	l below			TAN	I							
SI. No.	Party refer- er- encenum - ber pro- vided by the collec- tor, if avail-	code		Name of party	value of the	untrecei - ved/ debi-	amo- untrece-	ction Code	Sur- char ge	onCe	Total tax collec- ted [673+ 674+ 675]	tax	tion (dd/	which	for non- collec- tion/ lower collec- tion/ or collec- tion at	certif i- cate u/s 206C issued by the Asse- ssing Officer	payment by collectee is liable to TDS as per clause	If, answer to [681A] is yes, then

	able															rate (See Note 1 to 9)	tion of tax	proviso to sub-section (1H) and whether TDS has been deductedfrom such payment (if either "F" or"G" is selected in		Date of pay- ment of TDS to Central Gover- nment
[664]	[665]	[666]	[667]	[668]	[669]	[670]	[671]	[672]	[673]	[674]	[675]	[676]	[677]	[678]	[679]	[680]	[681]	[681A]	[681B	[681C]
1																				
2																				
3																				
Total																				

Verification

Ι,	, hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.
Pl	ace: Signature of the person responsible for collecting tax at source
Do	ate:

Notes:

- 1. Write "A" if "lower collection" is on account of a certificate under sub-section (9) of section 206C.
- 2. Write "B" if "non-collection" is on account of furnishing of declaration under sub-section (1A) of section 206C.
- 3. Write "C" if collection is at higher rate under section 206CC on account of non-furnishing of PAN/Aadhaar by the collectee
- 4. Write "D" if no collection is on account of the first proviso to sub-section (1G) of section 206C.
- 5. Write "E" if no collection is on account of the fourth proviso to sub-section (1G) of section 206C.
- 6. Write "F" if no collection is on account clause (i) or clause (ii) of the fifth proviso to sub-section (1G) or in view of notification issued under the clause (ii).
- 7. Write "G" if no collection is on account of the second proviso to sub-section (IH) of section 206C.

8. Write "H" if no collection is on account of sub-clause (A) or sub-clause (B) or sub-clause (C), or in view of notification issued under sub-clause (c), of clause (a) of the Explanation.

- 9. Write "I" if collection is at a higher rate in view of section 206CCA*.
- 10. Write collection code as mentioned below:

Section	Nature of collection	Collection	Code
206C	Collection at source from alcoholic liquor for human consumption	6C	A
206C	Collection at source from timber obtained under forest lease	6C	В
206C	Collection at source from timber obtained by any mode other than a forest lease	6C	C
206C	Collection at source from any other forest produce (not being tendu leaves)	6C	D
206C	Collection at source from scrap	6C	E
206C	Collection at source from contractors or licensee or lease relating to parking lots	6C	F
206C	Collection at source from contractors or licensee or lease relating to toll plaza	6C	G
206C	Collection at source from contractors or licensee or lease relating to mine or quarry	6C	Н
206C	Collection at source from tendu leaves	6C	I
206C	Collection at source on sale of minerals, being coal or lignite or iron ore	6C	J
206C	Collection at source on cash sale of bullion and jewellery	6C	K
206C	Collection at source on sale of motor vehicle	6C	L
206C	Collection at source on remittance under LRS for purchase of overseas tour program package	6C	0
206C	Collection at source on remittance under LRS for educational loan taken from financial institution mentioned in section 80E	6C	P
206C	Collection at source on remittance under LRS for purpose other than for purchase of overseas tour package or for educational loan taken from financial institution	6C	Q
206C	Collection at source on sale of goods	6C	R"

^{*} Note In relation to section 206CCA, the changes shall come into effect from 1st July, 2021.

(b) for the "Annexure", the following "Annexure" shall be substituted, namely:-

^{6.} In principal rules, in Appendix II, in Form 27Q, -

⁽a) for the brackets, words, figures and letters "[See section 194E, 194LB, 194LBA, 194LBB, 194LBC, 194LC, 194N, 195, 196A, 196B, 196C, 196D, 197A and rule 31A]", the following brackets, words, figures and letters shall be substituted, namely:-

[&]quot;[See section 194E, 194LB, 194LBA, 194LBB, 194LBC, 194LC, 194N, 195, 196A, 196B, 196C, 196D, 197A, 206AA, 206AB and rule 31A]";

"ANNEXURE: DEDUCTEE WISE BREAK UP OF TDS

(Please use separate Annexure for each line item in Table at Sl. No. 04 of main Form 27Q)

Details of amount paid/credited during the quarter ended (dd/mm/yyyy) and of tax deducted at source

BSR Code of branch/Receipt Number of Form No. 24G	
Date on which challan deposited/Transfer voucher date (dd/mm/yyyy)	
Challan Serial Number/DDO Serial No. of Form No. 24G	
Amount as per Challan	
Total TDS to be allocated among deductees as in the vertical total of Col. 726	
Total interest to be allocated among the deductees mentioned below	

Traine of the I	seaucion ayen	
TAN		

Sl.	Deducte	Deductee	[Permanent	Name of	Sectio	Date of	Amount of	Amount of	Amount of	Amoun	Tax	Surcharge	Education	Total	Total tax
No.	e reference number	Code(01- Company	Account Numberor	the deduct ee	n code (See	payment or credit	cash withdrawal	cash withdrawal which is in	cash withdrawal	t paid or credite d			Cess	tax deduc ted	deposited
	provided	02-Other	Aadhaar		Note	(dd/mm/yyy	in excess		which is in					[722+	
	by the deductor	than company	Number] of the		11)	<i>y)</i>	of Rs. 1 core as	Rs. 20 lakhs but does not	excess of Rs. 1 crore					723 + 724]	
	if availabl)	deductee [see note				referred to in section	exceed Rs. 1 crore for	for cases covered by						
	e		12]				194N (in cases not covered by the first proviso to Section 194N)	cases covered	sub-clause (b) of clause (ii) of first proviso to Section 194N						
								section 194N							
[714]	[715]	[716]	[717]	[718]	[719]	[720]	[720A]	[720B]	[720C]	[721]	[722]	[723]	[724]	[725]	[726]
1															
2															

3								
Total								

Date of deduction (dd/mm/yyyy)	Rate at which deducted	Reason for non- deduction/ lower deduction/ grossing up/ Higher Deduction (See notes1 to 10)	Number of the certificate issued by the Assessing Officer for non- deduction/ lower deduction	IT Act	Nature of Remittanc e	Unique Acknowledgement of the corresponding Form No. 15CA, if available	Country to which remittance is made	Email ID of deducte e	Contact number of deductee	Address of deductee in country of residence	Tax Identification Number/ Unique identification number of deductee
[727]	[728]	[729]	[730]	[731]	[732]	[733]	[734]	735	736	737	738
1											
2											
3											
Total											

	I,	, hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.
Place:		Signature of the person responsible for deducting tax atsource
Date:		<u></u>
		Name and designation of the person responsible for deducting tax at source

Notes:

- 1. Write "A" if "lower deduction" or "no deduction" is on account of a certificate under section 197.
- 2. Write "C" if grossing up has beendone.
- 3. Write "D" if deduction is on higher rate under section 206AA on account of non-furnishing of Permanent Account Number or Aadhaar Numberor non-linking of PAN with Aadhar.
- 4. Write "E" if no deduction is in view of sub-section (2A) of section 194LBA.

- 5. Write "M" if no deduction or lower deduction is on account of notification issued under second proviso to section 194N.
- 6. Write "N" if no deduction or lower deduction is on account of payment made to a person referred to in the third proviso to section 194N or on account of notification issued under the fourth proviso to section 194N.
- 7. Write "O" if no deduction is in view of clause (a) or (b) of sub-section (1D) of section 197A.
- 8. Write "H" if no deduction is in view of proviso to sub-section (1A) of section 196D in respect of an income paid to a specified fund which is exempt under clause (4D) of section 10.
- 9. Write "I" if no deduction is in view of sub-section (2) of section 196D in respect of income of the nature of capital gains on transfer of securities referred to in section 115AD paid or payable to a Foreign Institutional Investor.
- 10. Write "J" if deduction is at higher rate in view of section 206AB for non-filing of return of income by the non-resident having a permanent establishment in India*.

11. List of section codes is asunder:

Section	Nature of Payment	Section Code
192A	Payment of accumulated balance due to an employee	192A
194E	Payments to non-resident Sportsmen/Sport Associations	94E
194LB	Income by way of interest from infrastructure debt fund	4LB
194LBA(a)	income referred to in section 10(23FC)(a) from units of a business trust.	LBA1
194LBA(b)	Income referred to in section 10(23FC)(b) from units of a business trust	LBA2
194LBA(c)	Income referred to in section 10(23FCA) from units of a business trust	LBA3
194LBB	Income in respect of units of investment fund	LBB
194LBC	Income in respect of investment in securitisation trust	LBC
194LC	Income by way of interest from Indian company	4LC
194LD	Income by way of interest on certain bonds and Government securities.	4LD
194N	Payment of certain amounts in cash	94N
194N First Proviso	Payment of certain amount in cash to non-filers.	4N-F
195	Other sums payable to a non-resident	195
196A	Income in respect of units of Non-Residents	96A
196B	Payments in respect of Units to an Offshore Fund	96B
196C	Income from Foreign Currency Bonds or shares of Indian Company payable to Non-Resident	96C
196D(1)	Income of foreign institutional investors from securities under sub-section (1)	96D

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 19

196D(1A)	Income of specified fund from securities referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 115AD (other than interest income referred	96DA
	to in section 194LD)	

^{12.} In case of deductees covered under rule 37BC, Permanent Account Number or Aadhaar Number NOT AVAILABLE should be mentioned."

[Notification No. 71/2021/F. No. 370142/19/2021-TPL]

KAMLESH CHANDRA VARSHNEY, Jt. Secy. (Tax Policy and Legislation Division)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended vide notification number G.S.R. 338(E) dated 24th May, 2021

^{*} Note In relation to section 206AB, the changes shall come into effect from 1st July, 2021.